

कार्यवृत्त

[संक्षिप्त कार्य-विवरण]

शुक्रवार, 01 फाल्गुन, शक संवत् 1947

(20 फरवरी, 2026 ई0)

खण्ड-531
अंक-10

विधान सभा का कार्य सभा-मण्डप, लखनऊ में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ।

श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही संसदीय कार्य मंत्री ने पीठ के माध्यम से सदन को सूचित किया कि आज प्रश्न काल के उपरान्त क्रमशः दलीय नेता, नेता विरोधी दल व मुख्य मंत्री को वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय व्ययक पर बोलना है।

श्री अध्यक्ष ने कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा निर्धारित कार्यक्रम से सदन को अवगत कराते हुए कहा कि आज कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं नहीं ली जाएंगी। अपराह्न 02 बजे नेता विरोधी दल व 03 बजे मा0 मुख्य मंत्री बजट चर्चा में प्रतिभाग करेंगे।

प्रश्न पूछे गये एवं उनके उत्तर दिये गये।

आज की कार्य-सूची के नत्थी 'क' के तारांकित प्रश्न संख्या-15 के जवाब से असन्तुष्ट होकर नेता विरोधी दल अपने दल के सदस्यों सहित सदन से बहिर्गमन कर गये।

तदुपरान्त आज नियम-301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि ग्राह्यता के अन्तर्गत आने की दशा में आज की उपस्थिति में उपस्थित सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की जाएंगी।

तदुपरान्त श्री अध्यक्ष द्वारा विगत उपवेशन में नियम-51 के अन्तर्गत सदन से अनुपस्थित रहने पर भी उनकी सूचनाएं लग जाने के सम्बन्ध में दी गयी व्यवस्था पर श्री अध्यक्ष द्वारा जानकारी मांगे जाने पर प्रमुख सचिव, विधान सभा द्वारा अवगत कराया गया कि इन्क्वायरी आरम्भ कर दी गयी है।

तदुपरान्त श्री कमाल अख्तर तथा श्री लक्ष्मी राज द्वारा अपनी नियम-301 की सूचना को सदन के समक्ष पढ़ा गया तथा शेष सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं, जो निम्नवत् हैं :-

आज दिनांक 20 फरवरी, 2026 को नियम-301 के अन्तर्गत कुल 143 सूचनाएं प्राप्त हुईं, निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गयीं :-

क्र०-सं०

नाम

विषय

1 श्री बाबूलाल

जनपद आगरा के ब्लाक अछनेरा में पक्का नाला बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

<u>क्र०-सं०</u>	<u>नाम</u>	<u>विषय</u>
2	श्री रामखिलाड़ी सिंह	जनपद सम्भल के कतिपय विकास खण्डों में कतिपय मार्गों के डामरीकरण के सम्बन्ध में।
3	श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी)	जनपद जालौन के उरई में काशीराम कॉलोनी के सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में।
4	श्री मदन भैया	जनपद गाजियाबाद के लोनी में सफाई व कूड़ा प्रबन्धन में हो रही मनमानी व भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में।
5	डॉ० वीरेन्द्र यादव	जनपद फिरोजाबाद के नगला दल में सड़क निर्माण के सम्बन्ध में।
6	श्री राजेन्द्र कुमार	जनपद प्रतापगढ़ के सदर में सभी निकायों के निर्माण कार्यों का क्रियान्वयन नगर विभाग के अवर अभियन्ता से कराये जाने के सम्बन्ध में।
7	श्री प्रदीप शुक्ला	जनपद गोरखपुर के सहजनवां में पुल के निर्माण के सम्बन्ध में।
8	श्री जवाहर लाल राजपूत	जनपद झांसी के ब्लाक बामौर के ग्राम कुरेठा में राजकीय विद्यालय के जर्जर भवनों का प्रोजेक्ट अलंकार योजनान्तर्गत निर्माण के सम्बन्ध में।
9	श्री राम मूर्ति वर्मा	जनपद अम्बेडकरनगर के अन्तर्गत टाण्डा में कतिपय सड़क की मरम्मत के सम्बन्ध में।
10	श्री त्रिभुवन दत्त	जनपद अम्बेडकरनगर के आलापुर में 33/11 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में।
11	श्री चन्द्र प्रकाश लोधी (एडवोकेट)	जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर अन्तर्गत कतिपय स्थानों पर पुलियों का निर्माण के सम्बन्ध में।
12	डॉ० मनोज कुमार प्रजापति	जनपद हमीरपुर के विकास खण्ड कुरारा में नयी टंकी की स्थापना के सम्बन्ध में।
13	श्री हाकिम लाल बिन्द	जनपद प्रयागराज के ग्राम सभा भुईं मुसहर बस्ती से पुरे सुखवा बिन्द बस्ती तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में।
14	श्री राकेश कुमार गोस्वामी	जनपद महोबा में सरकारी मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
15	श्री मोहन वर्मा	जनपद कुशीनगर के हाटा में तरणताल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
16	श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह	जनपद खीरी के विकास खण्ड मोहम्मदी के नगर पंचायत बरबर में मुख्य मंत्री कम्पोजिट विद्यालय का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

<u>क्र०-सं०</u>	<u>नाम</u>	<u>विषय</u>
17	श्री हरिओम	जनपद कासगंज के अमांपुर के विकास खण्ड सिडपुरा में खेल स्टेडियम के निर्माण के सम्बन्ध में।
18	श्री मनीष कुमार उर्फ मन्दू	जनपद कुशीनगर में संचालित स्वायत्त राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की नियुक्ति में किये गए भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में।
19	श्री गणेश चन्द्र	जनपद सन्तकबीरनगर के विकास खण्ड पौली में सी० एच० सी० का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में।
20	श्री गुरु प्रसाद मौर्य	जनपद प्रयागराज के फाफामऊ में कतिपय स्थान पर नाली के निर्माण के सम्बन्ध में।
21	डॉ० मुकेश चन्द्र वर्मा	जनपद प्रयागराज के अन्तर्गत प्रयागराज प्राधिकरण द्वारा ग्राम फाफामऊ के आराजियों का बिना अधिग्रहण किये जबरन कब्जा कर उन्हें केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल 101 बटालियन को विक्रय करने के सम्बन्ध में।
22	श्री पीयूष रंजन निषाद	जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र करछना में मार्ग के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में।
23	श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू'	जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र बिलग्राम मल्लावां के ग्राम मझगांव, जनपद हरदोई में स्टेडियम निर्माण के सम्बन्ध में।
24	श्री अरविन्द कुमार सिंह	जनपद शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र ददरौल में सड़क निर्माण के सम्बन्ध में।
25	डॉ० अमित सिंह चौहान	जनपद अयोध्या की तहसील सोहावल में मार्गों की मरम्मत में गुणवत्तापूर्ण कार्य न होने के कारण दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।
26	श्री प्रदीप कुमार सिंह उर्फ गुड्डू चौधरी	जनपद लखनऊ के पारा गोविन्द नगर में पेयजल हेतु पाइप लाइन डाले जाने हेतु धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।
27	श्री अतुल प्रधान	जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र सरधना के अन्तर्गत लावाद जलालपुर में सड़क की मरम्मत के सम्बन्ध में।
28	श्री राजेश कुमार गौतम	जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज में कतिपय खड़न्जा मार्ग के डामरीकरण के सम्बन्ध में।

<u>क्र०-सं०</u>	<u>नाम</u>	<u>विषय</u>
29	श्रीमती सरोज कुरील	जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र घाटमपुर के अन्तर्गत धमना के आर० डी० मेमोरियल डेवलपमेण्ट सोसाइटी के बदलाव में फर्जी तरीके से किये गये हस्ताक्षर एवं डिप्टी रजिस्ट्रार कानपुर मण्डल के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में।
30	श्री सुरेन्द्र मैथानी	जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र गोविन्द नगर में 3 लाख की आबादी को प्रभावित करने वाले कतिपय वाडों में सीवर लाइन डलवाए जाने के सम्बन्ध में।
31	श्री मुकेश चौधरी	जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र नकुड़ में घाट का निर्माण कार्य नमामि गंगे योजनान्तर्गत कराये जाने के सम्बन्ध में।
32	श्री विकास गुप्ता	जनपद फतेहपुर के नगर पालिका क्षेत्र में सी० सी० रोड व नाली बनवाये जाने के सम्बन्ध में।
33	श्री विनोद शंकर अवस्थी	जनपद खीरी के धौरहरा में कतिपय मार्ग के डामरीकरण के सम्बन्ध में।
34	श्री प्रभात कुमार वर्मा	जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र गौरा के ग्राम पंचायत वीरपुर में डॉ० अम्बेडकर पार्क में डॉ० भीमराव जी की प्रतिमा स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।
35	श्री किरत सिंह	जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र गंगोह में कतिपय मार्ग के डामरीकरण के सम्बन्ध में।
36	श्री देवेन्द्र सिंह लोधी	जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र स्याना में कतिपय मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में।
37	श्री राम पाल वर्मा	जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र बालामऊ में कतिपय मार्ग के चौड़ीकरण के सम्बन्ध में।
38	श्री सीताराम वर्मा	जनपद सुल्तानपुर के विकास खण्ड लम्भुआ में कतिपय मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में।
39	श्री नन्द किशोर	जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र लोनी में जर्जर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में।
40	श्री धर्मराज निषाद	जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र कटेहरी में पुल के निर्माण के सम्बन्ध में।
41	श्री रामवीर सिंह	जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कुन्दरकी में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में।

<u>क्र०-सं०</u>	<u>नाम</u>	<u>विषय</u>
42	श्री निर्मल वर्मा	जनपद सीतापुर के तहसील बिसवां में कतिपय सम्पर्क मार्ग के नव निर्माण के सम्बन्ध में।
43	श्री सत्यपाल सिंह राठौर	जनपद एटा के ब्लाक जैथरा में कतिपय मार्ग के डामरीकरण के सम्बन्ध में।
44	श्री राम अचल राजभर	जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर में कतिपय मार्ग की मरम्मत के सम्बन्ध में।
45	श्री अजय सिंह	जनपद गोण्डा के करनैलगंज में कतिपय पौराणिक स्थल के पुनरुद्धार के सम्बन्ध में।
46	श्री प्रेम नारायण पाण्डेय	जनपद गोण्डा के तरबगंज में कतिपय मार्ग के चौड़ीकरण के सम्बन्ध में।
47	श्री राजेन्द्र सिंह पटेल	जनपद फतेहपुर के अन्तर्गत ग्राम बसन्तखेड़ा में कतिपय मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में।
48	श्री प्रेमसागर पटेल	जनपद महाराजगंज के विधान सभा क्षेत्र सिसवां में टुथिबादी ग्राम पंचायत को टाउन एरिया बनाये जाने के सम्बन्ध में।
49	श्री राजीव तरारा	जनपद अमरोहा के धनौरा में दारानगर गंगा जी के टापू पर बसा हुआ है, अतः उसे किसी अन्य स्थान पर बसाए जाने के सम्बन्ध में।
50	डॉ० पल्लवी पटेल	होम्योपैथिक निदेशालय द्वारा की जा रही घोर वित्तीय अनियमितता के सम्बन्ध में।
51	श्री संजीव अग्रवाल	बरेली सिविल एअरपोर्ट से चार धाम यात्रा के लिए हेलीकाप्टर सेवा आरम्भ किये जाने के सम्बन्ध में।
52	श्री चन्द्रपाल सिंह	जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र डिबाई में राजकीय कन्या डिग्री कॉलेज बनवाने के सम्बन्ध में।
53	डॉ० रागिनी	जनपद जौनपुर के मछलीशहर में कतिपय मार्ग की मरम्मत के सम्बन्ध में।
54	डॉ० मन्जू शिवाच	जनपद गाजियाबाद के मोदीनगर में कतिपय सम्पर्क मार्ग के नव निर्माण के सम्बन्ध में।
55	श्री स्वामी ओ०मवेश	जनपद बिजनौर के चाँदपुर में कतिपय मार्ग की मरम्मत के सम्बन्ध में।

<u>क्र०-सं०</u>	<u>नाम</u>	<u>विषय</u>
56	इंजी० सचिन यादव उर्फ जखई	प्रदेश के राज्य मार्गों पर हो रहे सड़क हादसों को रोकने के सम्बन्ध में।
57	श्री राजेश चौधरी	जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र मांट में जल जीवन मिशन हर घर जल योजना के काम की दयनीय स्थिति के सम्बन्ध में।
58	श्री भगवान सिंह कुशवाहा	जनपद आगरा के खैरागढ़ में पक्की सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में।
59	श्री कैलाश सिंह राजपूत	जनपद कन्नौज के तिर्वा में नवीन पर्ती भूमि एवं चक मार्ग की भूमि पर भू-माफियाओं से कब्जा मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में।
60	श्री हाजी नासिर कुरैशी	जनपद मुरादाबाद के ग्राम पंचायत भोजपुर में कच्चे मार्ग के नव निर्माण के सम्बन्ध में।
61	श्री कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू	जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज में कतिपय सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में।
62	श्री समरपाल सिंह	जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र सादात में पक्की सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में।
63	श्री राजेन्द्र कुमार	जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मुहम्मदाबाद में कतिपय मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में।
64	श्री रविदास मेहरोत्रा	उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच कराकर समुचित कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।
65	श्री विशम्भर सिंह यादव	जनपद बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर व नर्स की तैनाती के सम्बन्ध में।
66	श्री मो० ताहिर खान	जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र इसौली में कतिपय मार्ग की मरम्मत के सम्बन्ध में।
67	श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी	जनपद बस्ती के रुधौली में कतिपय मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में।
68	श्री श्याम सुन्दर	जनपद रायबरेली के कतिपय मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में।
69	श्री राम अवतार सिंह	जनपद बिजनौर के नूरपुर में कतिपय नाली की सफाई एवं अवशेष नाला निर्माण के सम्बन्ध में।

<u>क्र०-सं०</u>	<u>नाम</u>	<u>विषय</u>
70	श्रीमती सैय्यदा खातून	जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में पिच रोड की मरम्मत के सम्बन्ध में।
71	श्री संग्राम सिंह	जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र फेफना में मार्ग की मरम्मत के सम्बन्ध में।
72	श्री जियाउद्दीन रिजवी	विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरपुर के ग्राम सिसोटार में चकबन्दी प्रक्रिया पूरी करते हुए चकों का सीमांकन करने के सम्बन्ध में।
73	श्री मोहम्मद हसन 'रूमी'	जनपद कानपुर नगर की छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड-36, मुंशीपुरा शहीद पार्क के सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में।
74	श्री जाहीद	जनपद भदोही के भदोही नगर में कतिपय मार्ग की मरम्मत के सम्बन्ध में।
75	श्री अखिलेश	जनपद आजमगढ़ के मुबारकपुर में सड़क निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।
76	श्री दुर्गा प्रसाद यादव	जनपद आजमगढ़ के रानी की सराय ब्लाक में बालिका डिग्री कालेज की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में।
77	श्रीमती मनीषा अनुरागी	जनपद हमीरपुर के राठ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सड़क निर्माण के सम्बन्ध में।
78	श्री विवेकानन्द पाण्डेय	जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में।
79	श्री तेज प्रताप सिंह यादव	जनपद मैनपुरी के करहल विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सड़क निर्माण के सम्बन्ध में।
80	श्री अमिताभ बाजपेई	आयुष विभाग में कतिपय अधिकारियों को पुरानी पेंशन दिलाये जाने के सम्बन्ध में।
81	श्री प्रभु नारायण सिंह यादव	जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा के अन्तर्गत सड़क निर्माण के सम्बन्ध में।
82	श्री बेचई सरोज	जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

<u>क्र०-सं०</u>	<u>नाम</u>	<u>विषय</u>
83	श्री छोटेलाल वर्मा	जनपद आगरा के फतेहाबाद विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जल निकासी की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।
84	श्री प्रकाश द्विवेदी	जनपद बांदा में रायफल क्लब खेल मैदान को कामर्शियल न किये जाने के सम्बन्ध में।
85	श्री महेन्द्र नाथ यादव	जनपद बस्ती में नवीन जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।
86	श्री अमरेश कुमार	जनपद लखनऊ के अन्तर्गत सीतापुर रोड पर गरीबों के आवास तोड़े जाने के सम्बन्ध में।
87	श्री माता प्रसाद पाण्डेय	जनपद रायबरेली में महिला को जहर देकर मारे जाने की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।
88	डॉ० राजेश्वर सिंह	जनपद लखनऊ के सरोजनीनगर में नहर पटरियों के निर्माण कार्य रुक जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
89	श्री ऋषि त्रिपाठी	जनपद महाराजगंज में तैनात एस० डी० ओ० फारेस्ट द्वारा अनियमितता किये जाने के सम्बन्ध में।
90	श्री विपुल दुबे	जनपद भदोही के विधान सभा क्षेत्र ज्ञानपुर में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
91	श्री अनिल कुमार त्रिपाठी	जनपद सन्तकबीरनगर में स्थित डाक बंगला के नव निर्माण के सम्बन्ध में।
92	श्री राम चन्द्र यादव	जनपद अयोध्या के रुदौली विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सड़क निर्माण के सम्बन्ध में।
93	श्री विनय कुमार द्विवेदी	जनपद गोण्डा के मेहनौन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सड़क निर्माण के सम्बन्ध में।
94	श्री रत्नाकर मिश्रा	जनपद मिर्जापुर के दूधनाथ तिराहे से सड़क निर्माण के सम्बन्ध में।
95	श्री अनिल पाराशर	जनपद अलीगढ़ के नगर पंचायत मडरॉक में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को उच्चिकृत किये जाने के सम्बन्ध में।
96	श्रीमती इन्द्राणी देवी	जनपद श्रावस्ती के अन्तर्गत ब्लाक हरिहरपुररानी के मजरे में किए गए विद्युतीकरण के कार्य के सम्बन्ध में।

<u>क्र०-सं०</u>	<u>नाम</u>	<u>विषय</u>
97	श्री जय प्रकाश अंचल	जनपद बलिया के जर्जर एवं क्षतिग्रस्त मार्गों के निर्माण के सम्बन्ध में।
98	श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'	जनपद लखनऊ में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा बिल्डरों से मिलकर नियमों के विरुद्ध दीवाल तोड़ने से आम-जनमानस को परेशान किये जाने के सम्बन्ध में तथा प्रकरण की जांच सी० बी० आई० से कराये जाने के सम्बन्ध में।
99	श्रीमती कृष्णा पासवान	जनपद फतेहपुर के अन्तर्गत खागा में लम्बी लाइन की वजह से विद्युत आपूर्ति से आम-जनमानस को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।
100	श्री शफीक अहमद अंसारी	जनपद रामपुर के विधान सभा क्षेत्र स्वार के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के उच्चीकरण के सम्बन्ध में।
101	श्री वीर विक्रम सिंह	जनपद शाहजहाँपुर के कटरा में स्थित विकास खण्ड मदनपुर में ग्राम पंचायत की जमीन पर कस्तूरबा गाँधी विद्यालय बनाये जाने के सम्बन्ध में।
102	श्री वीरेन्द्र चौधरी	जनपद महाराजगंज के विधान सभा क्षेत्र फरेन्दा में कतिपय सड़कों के नव निर्माण के सम्बन्ध में।
103	श्री मौहम्मद फहीम इरफान	प्रदेश में जाति प्रमाण-पत्र में तीन स्टारों पर साक्ष्यों को स्वीकार, परीक्षण एवं मूल्यांकन हेतु स्पष्ट एवं बाध्यकारी मानक संचालन प्रक्रिया जारी किये जाने के सम्बन्ध में।
104	श्री मनोज कुमार पारस	जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना में विकास खण्ड किरतपुर की ग्राम पंचायत भनेडा को नगर पंचायत बनाने के सम्बन्ध में।
105	डॉ० नीरज बोरा	जनपद लखनऊ में स्वीकृत आई० टी० आई० के निर्माण हेतु भूमि आवंटन न होने के कारण कार्य लम्बित होने के सम्बन्ध में।
106	श्री कविन्द्र चौधरी	जनपद बस्ती के कप्तानगंज विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत दुबौला-पचपेड़वा मार्ग की चौड़ाई बढ़ाये जाने तथा जल निकासी की समस्या समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में।

<u>क्र०-सं०</u>	<u>नाम</u>	<u>विषय</u>
107	श्री मनोज कुमार पाण्डेय	जनपद रायबरेली के ऊँचाहार विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड आवास की बाउण्ड्री निर्माण के सम्बन्ध में।
108	श्री राम रतन कुशवाहा	जनपद उन्नाव के उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी पर जिलाधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।
109	श्री देवेन्द्र कुमार निम	जनपद सहारनपुर के नगर पंचायत रामपुर मनिहारन में हो रहे अवैध कालोनियों के निर्माण के सम्बन्ध में।
110	डा० अनिल कुमार मौर्य	जनपद कानपुर के जोन-1 में अवैध रूप से पशुओं के चट्टों का संचालन किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
111	इंजी० सरवन कुमार निषाद	जनपद प्रयागराज की तहसील सदर में अवैध कब्जा कर निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।
112	श्री रमेश जायसवाल	जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय में सड़क निर्माण के सम्बन्ध में।
113	श्री रमेश चन्द्र मिश्र	जनपद जौनपुर के बदलापुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सड़क निर्माण के सम्बन्ध में।
114	श्री तुफानी सरोज	जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत के विकास खण्ड डोभी में सड़क निर्माण के सम्बन्ध में।
115	श्री संदीप सिंह	जनपद लखनऊ स्थित सूर्य नगर रेल लेवल क्रॉसिंग पर प्रस्तावित अण्डरपास बनवाए जाने के सम्बन्ध में।
116	श्री मनीष असीजा	जनपद फिरोजाबाद के थाना क्षेत्र रसूलपुर को पी० डब्लू० डी० के गेस्ट हाउस में संचालित किये जाने के सम्बन्ध में।
117	श्री राज प्रसाद उपाध्याय	जनपद सुल्तानपुर के सदर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कुरेभार और बरौसा बाजार को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में।
118	श्री कमाल अख्तर	भगवान श्री परशुराम जन्मोत्सव/अक्षय तृतीया को राजकीय अवकाश घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।

<u>क्र०-सं०</u>	<u>नाम</u>	<u>विषय</u>
119	श्री लक्ष्मी राज सिंह	जनपद बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद में चोला औद्योगिक क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण में किसानों को मुआवजा दिलाये जाने या उनकी भूमि अर्जन मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।
120	श्री महेन्द्र पाल सिंह	जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड चरगावां में कतिपय सड़क की मरम्मत के सम्बन्ध में।
121	श्री मनीष रावत	जनपद सीतापुर के विकास खण्ड सिधौली में सड़क निर्माण के सम्बन्ध में।
122	श्री प्रदीप कुमार चौधरी	जनपद बुलन्दशहर के ग्राम अगौता में सड़क निर्माण के सम्बन्ध में।
123	श्री अजय सिंह (बस्ती)	जनपद फतेहपुर के बिन्दकी तहसील के अन्तर्गत ग्राम सभा अकबरपुर नसीरपुर में अवैध कब्जा करने वाले व्यक्तियों पर एफ० आई० आर० दर्ज किये जाने तथा कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में।

आज नियम-300 के अन्तर्गत 05 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जो औचित्य के प्रश्न के रूप में अग्राह्य हुईं। लोकायुक्त का वार्षिक प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखे जाने विषयक अपनी औचित्य के प्रश्न की सूचना पर विचार व्यक्त करते हुए नेता विरोधी दल ने कहा कि उत्तर प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम, 1975 के अन्तर्गत प्राविधान है कि मा० लोकायुक्त को मिलने वाली जाँच का प्रतिवेदन मा० राज्यपाल जी को प्रेषित किया जाएगा। धारा-12 (7), उपधारा-5 के अधीन विशेष प्रतिवेदन या उपधारा-6 के अधीन वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त होने पर मा० राज्यपाल उसकी एक प्रतिलिपि स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखेंगे। लोकायुक्त महोदय का कहना है कि आन्तरिक रिपोर्ट शासन में प्रेषित कर दी गयी है। उन्होंने अवगत कराया कि आन्तरिक रिपोर्ट की कॉपी उनके पास है। इसमें अधिकारियों के खिलाफ, नगर पंचायत अध्यक्षों के खिलाफ, एक-दो मिनिस्टर के खिलाफ कुछ टिप्पणियां की गयी हैं। लेकिन आज तक उसको सदन के पटल पर नहीं रखा गया है। उन्होंने भ्रष्टाचार के प्रश्नगत मामले में रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने एवं दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध की गयी कार्रवाई के सम्बन्ध में शासन से जानकारी की मांग की।

इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने शासन का पक्ष रखते हुए कहा कि लोकायुक्त की रिपोर्ट के प्रतिवेदन को सदन के पटल पर अवश्य रखा जाना चाहिए और पूर्व में रखा भी

गया। वर्ष 2022 एवं 2023 का वार्षिक प्रतिवेदन स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित गत वर्ष 2025 के द्वितीय सत्र में दिनांक 13-08-2025 को मा0 विधान मण्डल के दोनों सदनों में रखा गया। मा0 लोकायुक्त महोदय का वर्ष 2024 का वार्षिक प्रतिवेदन मा0 राज्यपाल जी के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है तथा मा0 लोकायुक्त कार्यालय के स्तर पर मा0 सदन में प्रस्तुत किए जाने हेतु उसके मुद्रण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, उक्त प्रतिवेदन शासन में प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी। उक्त के अतिरिक्त अन्य कोई वार्षिक प्रतिवेदन मा0 सदन के पटल पर रखे जाने हेतु लम्बित नहीं है। इसमें छुपाने जैसी सरकार की कोई मंशा नहीं है। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर पूरी तरीके से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने हेतु प्रतिबद्ध है।

तदुपरान्त सूचना अग्राह्य हुई।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री ने भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक का मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर प्रतिवेदन उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2025 का प्रतिवेदन संख्या-9 (निष्पादन एवं अनुपालन लेखा परीक्षा-वाणिज्यिक) को सदन के पटल पर रखा।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री ने भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा विकास एवं सम्पत्तियों का आवंटन उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवेदन संख्या-11, वर्ष 2025 (निष्पादन लेखा परीक्षा-सिविल) को सदन के पटल पर रखा।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री ने लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण एवं संचालन पर भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवेदन संख्या-12, वर्ष 2025 (निष्पादन लेखा परीक्षा-वाणिज्यिक) को सदन के पटल पर रखा।

तदुपरान्त श्री अध्यक्ष द्वारा सदन को सूचित किया गया कि अनुपस्थित सदस्यों की याचिकाएं व्यपगत हो जाती हैं।

श्री अनिल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा के अन्तर्गत मोहनलालगंज-पुरवा-अचलगंज-मंथना स्टेट हाई-वे पुरवा से लखनऊ-कानपुर नेशनल हाई-वे दही चौकी उन्नाव तक प्रमुख मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बृजेश शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्रीमती मीनाक्षी सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर की तहसील खुर्जा के खुर्जा नगर स्थित नवीन मण्डी के गेट से दादू पाटरी तक नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सत्यप्रकाश दादू व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री जाहीद, सदस्य, विधान सभा की जनपद भदोही के नगर पालिका परिषद् भदोही द्वारा जन्म/मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के सम्बन्ध में श्री अली शेर खां व अन्य निवासीगण जनपद भदोही की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

डॉ० सुनील पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद वाराणसी के विधान सभा क्षेत्र रोहनियां के अन्तर्गत सुसावाही में सी०सी० रोड कुआं से महेन्द्र पटेल के घर से होते हुए गुरुदेव नगर कालोनी तक तथा महेन्द्र पटेल के घर से रामचन्द्र पटेल के घर के पीछे तक इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गुड्डू पटेल व अन्य निवासीगण जनपद वाराणसी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

मेजर सुनील दत्त द्विवेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद फर्रुखाबाद के विकास खण्ड बहुरपुर में स्थित ग्राम सभा महलई के मजरा सलेमपुर से नवाबगंज सम्पर्क मार्ग तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सन्तोष राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद फर्रुखाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री रमा शंकर सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद मिर्जापुर के अन्तर्गत मिर्जापुर-सोनभद्र मार्ग, लालपुर से कलवारी मार्ग एवं कलवारी से नहर मार्ग ददरा पहाड़ी रैकरी मार्ग तक चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह व अन्य निवासीगण जनपद मिर्जापुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री बाबूराम, सदस्य, विधान सभा की जनपद पीलीभीत के विकास खण्ड पूरनपुर में ऐतिहासिक मेले रामलीला के मैदान में मंच व मीटिंग हाल के बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ऋतुराज पासवान व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री रामवीर सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद के विकास खण्ड कुन्दरकी एवं विकास खण्ड-मूंडापाण्डेय के मध्य गागन नदी पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री मुकेश व अन्य निवासीगण जनपद मुरादाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्रीमती शुचिस्मिता मौर्या, सदस्य, विधान सभा की जनपद मीरजापुर की तहसील मीरजापुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत गोपालपुर में इण्टर कालेज विद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ज्ञान प्रकाश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद मीरजापुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री माधवेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सवायजपुर में राजकीय डिग्री कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमित गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद हरदोई की याचिका व्यपगत हुई।

डॉ० वीरेन्द्र यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर के अन्तर्गत ब्लाक बिरनो के ग्राम गजपतपुर में अम्बेडकर जी की प्रतिमा से प्राइमरी स्कूल व डीह बाबा तक सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्यामलाल, निवासी जनपद गाजीपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

डॉ० अजय कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली के बिवाडा माइनर पर शीशपाल पुत्र कबूल सिंह के खेत से सिरसली गाँव तक मार्ग का नव निर्माण लोक निर्माण विभाग से कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजू तोमर व अन्य निवासीगण जनपद बागपत की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री संजय शर्मा, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर स्थित औरंगाबाद बीहरा-जमालपुर मार्ग का चौड़ीकरण व सुदृढीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बबलू शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री अरविन्द कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र-136, ददरौल के विकास खण्ड काँठ के ग्राम औदापुर-चडरिया सम्पर्क मार्ग से ग्राम कुतुआपुर तक सम्पर्क मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में श्री अभिषेक सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री चन्द्रपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र डिबाई के ब्लाक दानपुर अन्तर्गत ग्राम भमरौआ से खेड़िया-बरेना लिंक मार्ग तक नव निर्माण के सम्बन्ध में श्री वीनेश लोधी व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री प्रेमसागर पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद महाराजगंज के अन्तर्गत टूठीबारी में 38 किमी० मार्ग के निर्माण में प्रयोग किये जा रहे घटिया सामग्री की टी०ए०सी० से जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भोलू यादव व अन्य निवासीगण जनपद महाराजगंज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री हाकिम लाल बिन्द, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र हण्डिया के अन्तर्गत ग्राम सभा मुसहर बस्ती से पूरे सुखवा बिन्द बस्ती तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अरविन्द कुमार व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री गणेश चन्द्र, सदस्य, विधान सभा की जनपद सन्तकबीरनगर के अन्तर्गत पिड़िया के पास व रामपुर छितौनी के पास जल निकासी हेतु पम्प की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में श्री सन्तोष व अन्य निवासीगण जनपद सन्तकबीरनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री प्रदीप शुक्ला, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र सहजनवां के अन्तर्गत सहजनवां चौराहे से घघसरा होते हुए नेवास तक फोर लेन मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद गोरखपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री मोहम्मद ताहिर खान, सदस्य, विधान सभा की जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र-187, इसौली के ब्लाक बल्दीराय की ग्राम सभा पारा गनापुर होते हुए पारा से मंगल बाजार तक मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रमेश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद सुल्तानपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री वीरेन्द्र चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद महाराजगंज के विधान सभा क्षेत्र फरेन्दा के भगवतनगर परसिया से होते हुए सेमरहनी मार्ग पर रेलवे फाटक से उत्तर भगवतनगर परसिया के जनकनगर (डंगरेपुर) तक पक्का मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र यादव उर्फ पप्पू यादव व अन्य निवासीगण जनपद महाराजगंज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री शंशाक वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र निधासन के अन्तर्गत ग्राम सभा तिकुनिया को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद लखीमपुर खीरी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री किरत सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद सहारनपुर की तहसील नकुड़ के ब्लाक गंगोह के गांव विलासपुर में माता फूलन्दे मन्दिर का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मोनू प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री दीपक पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज के अन्तर्गत नगर क्षेत्र नई झूंसी में 13वीं सदी में निर्मित गंगोली शिवाला मन्दिर का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कपिल पटेल व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री अनिल कुमार त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद सन्तकबीरनगर के मेंहदावल बाईपास परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण में न्यायोचित मुआवजा प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में श्री संदीप तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद सन्तकबीरनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्रीमती कृष्णा पासवान, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर के मडरहन डेरा भसरौल व सरकण्डी के मध्य यमुना सहायक नाले पर लघु सेतु पहुंच मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री छेदी लाल निषाद व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री राजमणि कोल, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद प्रयागराज की विधान सभा क्षेत्र कोरांव के अन्तर्गत धूस मोड़ से हनुमान पैतिहा जाने वाली सड़क का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नर सिंह केशरी व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका व्यपगत हुई।

श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली में खरहराजाप्ती से दाढ़िया-हसनापुर मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सैय्यद अली अहमद, निवासी जनपद बस्ती की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री ऋषि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद महाराजगंज की विधान सभा क्षेत्र नौतनवां के ग्राम सभा आराजी सरकार उर्फ बैरियहवां, पुरैनिहा, महुअवां एवं वरवां भोज को नगर पालिका परिषद् नौतनवां में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में श्री बब्लू प्रसाद व अन्य निवासीगण जनपद महाराजगंज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री सुरेन्द्र कुमार कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र फाजिलनगर के अन्तर्गत विकास खण्ड तमकुही के ग्राम सभा रजवटिया में नहर पिच के पुल से रमाशंकर सिंह के खेत तक सी0सी0 रोड का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय प्रताप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री त्रिभुवन दत्त, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर के विकास खण्ड जहांगीरगंज के ग्राम पाठकपुर में लालचन्द्र मौर्य के खेत से डबलू दूबे के घर तक के मार्ग पर सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिव प्रसाद गौतम व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री बीरेन्द्र सिंह राणा, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद हाथरस के गम्भीर पट्टी बिसाना में जर्जर विद्युत लाइन बदलवाये जाने के सम्बन्ध में श्री ओजवीर सिंह राणा व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस की याचिका व्यपगत हुई।

श्री सीताराम वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र लम्भुआ में धोपाप घाट पर बुनियादी सुविधाओं का विकास किये जाने के सम्बन्ध में श्री राजकुमार अग्रहरि व अन्य निवासीगण जनपद सुल्तानपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री देवेन्द्र सिंह लोधी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र स्याना में विनोद मास्टर के मकान से रनवीर मंत्री के मकान की तरफ 200 मी0 मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दीपक चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री रामपाल वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र बालामऊ के अन्तर्गत विकास खण्ड बेहदर की ग्राम पंचायत माँडर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार व अन्य निवासीगण जनपद हरदोई की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री गुरु प्रसाद मौर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र फाफामऊ के विकास खण्ड कौड़िहार ग्राम पंचायत कुरेशर में गंगा जी के तट पर स्थित प्राचीन मन्दिर (कौरेश्वर धाम) का जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जंगली प्रसाद व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री जगदीश नारायण, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत के विकास खण्ड केराकत के ग्राम पंचायत पूरनपुर के ग्राम चरनाडीह श्री ओम प्रकाश पाण्डेय के गाटा संख्या-85 के आवासीय भूमि पर जोखू सिंह एवं अन्य द्वारा किये गये अवैध कब्जे को मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री हंसु राम, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर के ग्राम कुरी बांगर के भूमि सं0-97, 98 मिनजुमला नम्बर क्षेत्र 417.63 वर्गमीटर की जमीन पर अवैध कब्जे को हटवाये जाने के सम्बन्ध में श्री रिजवान अहमद, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू', सदस्य, विधान सभा की जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र बिलग्राम मल्लावां के अन्तर्गत पुरौली सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सदाशिव कुशवाहा व अन्य निवासीगण जनपद हरदोई की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री संग्राम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया के अन्तर्गत निबिया पोखरा से दुमदुमा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भोला यादव व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री योगेश शुक्ला, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ के चिनहट ब्लॉक के ग्राम सिन्कदरपुर खुर्द के श्मशान स्थल तक सी0सी0 रोड/सड़क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम खेलावन शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री रमेश चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर के अन्तर्गत विकास खण्ड महाराजगंज के बाबूगंज में विद्युत सब-स्टेशन का बिजनेस प्लान के तहत निर्माण कार्य शुरू कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धीरज चतुर्वेदी व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री अनुराग सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद मीरजापुर के नगर पालिका परिषद्, चुनार में एक बृहद् सब्जी मण्डी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में सुश्री आरती कुमारी व अन्य निवासीगण जनपद मीरजापुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री राकेश गोस्वामी, सदस्य, विधान सभा की जनपद महोबा के अन्तर्गत कबरई से ग्राम परसहा तक सड़क का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामनारायण व अन्य निवासीगण जनपद महोबा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री प्रदीप कुमार सिंह उर्फ गुड्डू चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद हाथरस के विधान सभा क्षेत्र-79, सादाबाद में विकास खण्ड सादाबाद राजवाहा की बंका माइनर की पटरी

पर राजवाहा से चौकडा तक डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री राकेश प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ के नगर पंचायत बक्शी का तालाब के वार्ड नं०-03, सरकपुर सरैया में सोनू पाल के घर से लेकर भौली के टोडीसिंह पुरवा में के०के० सिंह के घर तक कच्चे मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भानु प्रताप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री अमन गिरि, सदस्य, विधान सभा की मेसर्स सुखमा संस, नई दिल्ली द्वारा जनपद अलीगढ़ के नगर निगम में कूड़ा निस्तारण हेतु अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार प्रस्तुत बीजकों की कटौती को निरस्त कर सम्पूर्ण भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद गुड़गांव की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री संजीव अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली के अन्तर्गत सेटेलाइट बस अड्डे से पीलीभीत मार्ग व पीलीभीत बाईपास रोड से बीसलपुर चौराहे पर फ्लाईओवर का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री छंगामल मौर्या व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री धर्मराज सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत बाराबंकी शहर में कम्युनिटी सेन्टर की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बिक्की गुप्ता पहलवान, निवासी जनपद बाराबंकी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री राम चन्द्र यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र रुदौली अन्तर्गत विकास खण्ड मवाई में निर्मित आई०टी०आई० में पटन-पाटन शुरू कराये जाने के सम्बन्ध में श्री योगराज यादव व अन्य निवासीगण जनपद अयोध्या की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री राम अवतार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चूरपुर की ग्राम पंचायत रवाना शिकारपुर में नेशनल जू० हाई स्कूल से श्मशान घाट तक ल० लगभग 800 मी० पक्की रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री एजाज अंसारी व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री मौहम्मद फहीम इरफान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद के तहसील बिलारी के नगर पंचायत महमूदपुर माफी में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हाजी जुबैर अंसारी व अन्य निवासीगण जनपद मुरादाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्रीमती सरोज कुरील, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र घाटमपुर के अन्तर्गत परास रोड के कोरियां चौराहे से कोरियां होते हुए सवाईपुर चौराहे के मेन

रोड जिला फतेहपुर बार्डर तक रोड का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जीतेन्द्र पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री नन्दकिशोर, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजियाबाद के लोनी अन्तर्गत दिल्ली-सहारनपुर रोड से शब्लू गढ़ी होते हुए घिटोरा मार्ग तक सड़क का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कोमल गुर्जर व अन्य निवासीगण जनपद गाजियाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

डॉ० संग्राम यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ के कल्ली पश्चिम के जगत खेड़ा के पियूष विहार कालोनी में सड़क व नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती सरिता सोनकर व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री महबूब अली, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र अमरोहा सदर में अंजुम कालोनी एवं रेटां दरबार-ए-कलां के विभिन्न गलियों की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जाकिर व अन्य निवासीगण जनपद अमरोहा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री देवेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद कासगंज के विधान सभा क्षेत्र कासगंज सदर के अन्तर्गत डामर रोड से ग्राम नगला भंडारी तक डामर रोड का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजकुमार व अन्य निवासीगण जनपद कासगंज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

डॉ० नीरज बोरा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ के जानकीपुरम रिंग रोड स्थित सेक्टर-एफ से टेढ़ी पुलिया तक सर्विस रोड की मरम्मत एवं चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्रीमती ऊषा मौर्या उर्फ अनीला मौर्या, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र हुसैनगंज में गौती पुल से टांडा भैरांए तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अब्दुल राफे व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री धर्मराज निषाद, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर के औरंगनगर एवं श्रवण क्षेत्र में बस स्टाप बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अतुल द्विवेदी व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री दिनेश रावत, सदस्य, विधान सभा की जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र हैदरगढ़ में बहुउद्देश्यीय खेल स्टेडियम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रवेश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद बाराबंकी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

डॉ० राघवेन्द्र शर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली के विकास खण्ड चाँदपुर बिसारतगंज रोड से ग्राम कन्धरपुर तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम सेवक व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री मोहम्मद हसन 'रूमी', सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर की छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित वार्ड नं०-105, बाबूपुरवा के अन्तर्गत बी० एन० भल्ला अस्पताल में स्थापित ट्यूबवेल को रि-बोर कराये जाने के सम्बन्ध में मो० मेराज, निवासी जनपद कानपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री राकेश यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र गैंसड़ी के अन्तर्गत पचपेड़वा-चन्दनपुर सम्पर्क मार्ग से बड़ई पुरवा से कल्हुई सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री एहसान खां व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री बेचई सरोज, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत ग्राम सभा खुशनामपुर में श्री विनोद राम के घर से राम आधार के घर तक पक्का रास्ता बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद राम व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद इटावा के विधान सभा क्षेत्र भरथना के अन्तर्गत ग्राम करपिया से इकधरा-उरेंग सम्पर्क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजीव कुमार व अन्य निवासीगण जनपद इटावा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने यह प्रस्ताव किया कि-

“यह सदन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद् में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद् अधिनियम, 2004 की धारा-3 की अपधारा (3) के खण्ड (ड) के अनुसार एक मुस्लिम शिया सदस्य, विधान मण्डल के दोनों सदनों से निर्वाचन करें।”

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि यह सदन उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद् में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए एक मुस्लिम शिया सदस्य का निर्वाचन कराये जाने का प्रस्ताव, जो इस माननीय सदन में आज दिनांक 20 फरवरी, 2026 को स्वीकृत हुआ है, के अनुसरण में यह सदन सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए, जहां तक वे निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं, उक्त उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद् में

सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए, एक मुस्लिम शिया सदस्य का निर्वाचन कराने के स्थान पर माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को, मा0 सभापति, विधान परिषद् से परामर्श कर विधान मण्डल के सदस्यों में से एक मुस्लिम शिया सदस्य का नाम-निर्देशन करने के लिए प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त प्रदेश मद्रसा शिक्षा परिषद् में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

तदुपरान्त श्री अध्यक्ष द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा हेतु दलीय नेताओं को बोलने के लिए 10-12 मिनट का समय निर्धारित किया गया।

वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा प्राविधिक शिक्षा मंत्री (श्री आशीष पटेल) के भाषण से आरम्भ हुई।

इनके भाषण के मध्य अपराह्न 12 बजकर 55 मिनट पर अधिष्ठाता श्रीमती अनुपमा जायसवाल पीठासीन हुईं।

निम्नलिखित मंत्रिगण/सदस्यगण ने भी आय-व्ययक की साधारण चर्चा में भाग लिया :-

श्री राजपाल बालियान,
पंचायती राज मंत्री (श्री ओम प्रकाश राजभर),
श्री अनिल कुमार त्रिपाठी,
श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना',

श्री रघुराज प्रताप सिंह के भाषण के मध्य अपराह्न 01 बजकर 49 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।

निम्नलिखित मंत्रिगण/सदस्यगण ने भी आय-व्ययक की साधारण चर्चा में भाग लिया :-

श्री शिवपाल सिंह यादव,
नेता विरोधी दल।

नेता सदन/मुख्य मंत्री ने उत्तर भाषण के साथ चर्चा में प्रतिभाग दिया।

इसी मध्य सायं 04 बजकर 03 मिनट पर अधिष्ठाता डॉ0 राजेश्वर सिंह पीठासीन हुए तथा सायं 04 बजकर 25 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।

तदुपरान्त श्री अध्यक्ष ने माननीय मुख्य मंत्री के उद्बोधन के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि हमें विश्वास है कि आपका मार्गदर्शन प्रदेश की जनता के लिए कल्याणकारी होगा।

संसदीय कार्य मंत्री ने सदन को सूचित किया कि मा0 राज्यपाल महोदया जी के अभिभाषण से लेकर मा0 मुख्य मंत्री जी के उद्बोधन तक मा0 नेता विरोधी दल एवं दलीय

नेताओं सहित लगभग 300 सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया तथा प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-01 लगायत 02, 04 लगायत 10, 12 लगायत 28, 30 लगायत 36, 38 लगायत 55, 57 लगायत 63, 65 लगायत 87, 89 तथा 91 लगायत 93 के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये सात लाख चौबीस हजार दो सौ बीस करोड़ उन्नतीस लाख छियासठ हजार (रुपये 7,24,220,29,66,000) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय, जिसका विवरण निम्नवत् है :-

अनुदान संख्या-01-आबकारी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रु0 683,60,44,000 (छः सौ तिरासी करोड़ साठ लाख चौवालीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-02-आवास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रु0 7705,44,37,000 (सात हजार सात सौ पाँच करोड़ चौवालीस लाख सैंतीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-04-उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रु0 76,12,35,000 (छिहत्तर करोड़ बारह लाख पैंतीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-05-उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रु0 183,06,78,000 (एक सौ तिरासी करोड़ छः लाख अठहत्तर हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-06-उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रु0 5020,56,11,000 (पाँच हजार बीस करोड़ छप्पन लाख ग्यारह हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-07-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रु0 29162,49,57,000 (उन्नतीस हजार एक सौ बासठ करोड़ उनचास लाख सत्तावन हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-08-उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रु0 318,42,20,000 (तीन सौ अट्ठारह करोड़ बयालीस लाख बीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-09-ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रु0 58361,51,05,000 (अट्ठावन हजार तीन सौ इकसठ करोड़ इक्यावन लाख पाँच हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-10-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रु0 2584,29,66,000 (दो हजार पांच सौ चौरासी करोड़ उन्नतीस लाख छियासठ हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-12-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रु0 337,95,02,000 (तीन सौ सैंतीस करोड़ पंचानवे लाख दो हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-13-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रु0 20534,18,29,000 (बीस हजार पांच सौ चौतीस करोड़ अट्टारह लाख उन्नतीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-14-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रु0 28408,90,94,000 (अट्टाईस हजार चार सौ आठ करोड़ नब्बे लाख चौरानवे हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-15-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रु0 5146,14,49,000 (पांच हजार एक सौ छियालीस करोड़ चौदह लाख उनचास हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-16-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रु0 446,81,36,000 (चार सौ छियालीस करोड़ इक्कासी लाख छत्तीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-17-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रु0 883,55,09,000 (आठ सौ तिरासी करोड़ पचपन लाख नौ हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-18-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रु0 1521,07,01,000 (एक हजार पांच सौ इक्कीस करोड़ सात लाख एक हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-19-कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रु0 35,27,93,000 (पैंतीस करोड़ सत्ताईस लाख तिरानवे हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-20-कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रु0 183,55,27,000 (एक सौ तिरासी करोड़ पचपन लाख सत्ताईस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-21-खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रु0 20123,91,19,000 (बीस हजार एक सौ तेईस करोड़ इक्यानवे लाख उन्नीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-22-खेल विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रु0 1028,84,81,000 (एक हजार अट्टाईस करोड़ चौरासी लाख इक्यासी हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-23-गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रु0 411,64,53,000 (चार सौ ग्यारह करोड़ चौंसठ लाख तिरपन हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-24-गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रु0 1007,01,60,000 (एक हजार सात करोड़ एक लाख साठ हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-25-गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रु0 2877,58,13,000 (दो हजार आठ सौ सतहत्तर करोड़ अट्टावन लाख तेरह हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-26-गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रु0 44145,77,67,000 (चौवालीस हजार एक सौ पैंतालीस करोड़ सतहत्तर लाख सड़सठ हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-27-गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रु0 49,57,14,000 (उनचास करोड़ सत्तावन लाख चौदह हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-28-गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रु0 537,78,68,000 (पाँच सौ सैंतीस करोड़ अठहत्तर लाख अड़सठ हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-30-गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रु0 12,65,72,000 (बारह करोड़ पैंसठ लाख बहत्तर हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रु0 13795,53,86,000 (तेरह हजार सात सौ पन्चानवे करोड़ तिरपन लाख छियासी हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-32-चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रु0 14048,06,80,000 (चौदह हजार अड़तालीस करोड़ छः लाख अस्सी हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-33-चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रु0 1962,79,70,000 (एक हजार नौ सौ बासठ करोड़ उन्नयासी लाख सत्तर हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-34-चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रु0 874,32,44,000 (आठ सौ चौहत्तर करोड़ बत्तीस लाख चौवालीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-35-चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रु0 19504,45,40,000 (उन्नीस हजार पांच सौ चार करोड़ पैंतालीस लाख चालीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-36-चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रु0 1629,05,19,000 (एक हजार छः सौ उन्नतीस करोड़ पांच लाख उन्नीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-38 नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रु0 2111,14,26,000 (दो हजार एक सौ ग्यारह करोड़ चौदह लाख छब्बीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-39-भाषा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रु0 55,01,58,000 (पचपन करोड़ एक लाख अट्ठावन हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-40-नियोजन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रु0 4426,48,59,000 (चार हजार चार सौ छब्बीस करोड़ अड़तालीस लाख उनसठ हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-41-निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रु0 1415,34,27,000 (एक हजार चार सौ पन्द्रह करोड़ चौतीस लाख सत्ताईस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-42-न्याय विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रु0 8690,00,57,000 (आठ हजार छः सौ नब्बे करोड़ सत्तावन हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-43-परिवहन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रु0 1636,50,64,000 (एक हजार छः सौ छत्तीस करोड़ पचास लाख चौंसठ हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-44-पर्यटन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रु0 2007,28,50,000 (दो हजार सात करोड़ अट्टाईस लाख पचास हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-45-पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रु0 209,77,87,000 (दो सौ नौ करोड़ सतहत्तर लाख सत्तासी हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-46-प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रु0 32,05,31,000 (बत्तीस करोड़ पांच लाख इक्तीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-47-प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रु0 2295,67,03,000 (दो हजार दो सौ पंचानवे करोड़ सड़सठ लाख तीन हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-48-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रु0 2057,94,17,000 (दो हजार सत्तावन करोड़ चौरानवे लाख सत्रह हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-49-महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रु0 15662,63,16,000 (पन्द्रह हजार छः सौ बासठ करोड़ तिरसठ लाख सोलह हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-50-राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रु0 1944,89,16,000 (एक हजार नौ सौ चौवालीस करोड़ नवासी लाख सोलह हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-51-राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रु0 8719,14,25,000 (आठ हजार सात सौ उन्नीस करोड़ चौदह लाख पच्चीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-52-राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रु0 5894,32,77,000 (पांच हजार आठ सौ चौरानवे करोड़ बत्तीस लाख सतहत्तर हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-53-राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रु0 1,48,15,000 (एक करोड़ अड़तालीस लाख पंद्रह हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-54-लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रु0 3414,67,69,000 (तीन हजार चार सौ चौदह करोड़ सड़सठ लाख उनहत्तर हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-55-लोक निर्माण विभाग (भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रु0 669,05,35,000 (छः सौ उनहत्तर करोड़ पांच लाख पैंतीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-57-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रु0 5434,19,00,000 (पाँच हजार चार सौ चौतीस करोड़ उन्नीस लाख रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-58-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रु0 32331,56,00,000 (बत्तीस हजार तीन सौ इक्तीस करोड़ छप्पन लाख रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-59-लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रु0 868,38,50,000

(आठ सौ अड़सठ करोड़ अड़तीस लाख पचास हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-60-वन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रु0 2765,41,66,000 (दो हजार सात सौ पैसठ करोड़ इकतालीस लाख छियासठ हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-61-वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रु0 40027,77,63,000 (चालीस हजार सताईस करोड़ सतहत्तर लाख तिरसठ हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-62-वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रु0 92680,50,25,000 (बानवे हजार छः सौ अस्सी करोड़ पचास लाख पच्चीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-63-वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रु0 331,41,15,000 (तीन सौ इकतीस करोड़ इकतालीस लाख पंद्रह हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-65-वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प-बचत आदि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रु0 619,09,97,000 (छः सौ उन्नीस करोड़ नौ लाख सत्तानवे हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-66-वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रु0 23,31,22,000 (तेईस करोड़ इकतीस लाख बाईस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-67-विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रु0 213,83,65,000 (दो सौ तेरह करोड़ तिरासी लाख पैसठ हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-68-विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रु0 486,51,72,000 (चार सौ छियासी करोड़ इक्यावन लाख बहत्तर हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-69-व्यावसायिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रु0 2998,13,76,000 (दो हजार नौ सौ अट्ठानवे करोड़ तेरह लाख छिहत्तर हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-70-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रु0 2372,00,80,000 (दो हजार तीन सौ बहत्तर करोड़ अस्सी हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-71-शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रु0 76678,89,56,000 (छिहत्तर हजार छः सौ अठहत्तर करोड़ नवासी लाख छप्पन हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-72-शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रु0 21816,39,86,000 (इक्कीस हजार आठ सौ सोलह करोड़ उन्नतालीस लाख छियासी हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-73-शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रु0 6412,13,51,000 (छः हजार चार सौ बारह करोड़ तेरह लाख इक्यावन हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-74 गृह विभाग (होमगाइर्स) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रु0 3148,87,94,000 (तीन हजार एक सौ अड़तालीस करोड़ सत्तासी लाख चौरानवे हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-75-शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रु0 612,24,50,000 (छः सौ बारह करोड़ चौबीस लाख पचास हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-76-श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रु0 667,10,66,000 (छः सौ सरसठ करोड़ दस लाख छियासठ हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-77-श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रु0 391,92,73,000 (तीन सौ इक्यानवे करोड़ बानवे लाख तिहत्तर हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-78-सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रु0 2684,84,07,000 (दो हजार छः सौ चौरासी करोड़ चौरासी लाख सात हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-79-समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तीकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रु0 5520,09,58,000 (पाँच हजार पाँच सौ बीस करोड़ नौ लाख अट्ठावन हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-80-समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रु0 12109,06,28,000 (बारह हजार एक सौ नौ करोड़ छः लाख अट्ठाईस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-81-समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रु0 1920,18,09,000 (एक हजार नौ सौ बीस करोड़ अट्ठारह लाख नौ हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-82-सतर्कता विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रु0 106,01,78,000 (एक सौ छः करोड़ एक लाख अठहत्तर हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रु0 39789,54,51,000 (उन्नतालीस हजार सात सौ नवासी करोड़ चौवन लाख इक्यावन हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-84-सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रु0 972,92,27,000 (नौ सौ बहत्तर करोड़ बानवे लाख सत्ताईस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-85-सार्वजनिक उद्यम विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रु0 13,65,39,000 (तेरह करोड़ पैंसठ लाख उन्नतालीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-86-सूचना विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रु0 1314,81,84,000 (एक हजार तीन सौ चौदह करोड़ इक्यासी लाख चौरासी हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-87-सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रु0 91,84,66,000 (इक्यानवे करोड़ चौरासी लाख छियासठ हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-89-राज्य कर विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रु0 1486,20,12,000 (एक हजार चार सौ छियासी करोड़ बीस लाख बारह हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-91-स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रु0 4329,93,97,000 (चार हजार तीन सौ उन्नतीस करोड़ तिरानवे लाख सत्तानवे हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-92-संस्कृति विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रु0 425,63,75,000 (चार सौ पच्चीस करोड़ तिरसठ लाख पचहत्तर हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-93-नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रु0 17730,35,17,000 (सत्रह हजार सात सौ तीस करोड़ पैंतीस लाख सत्रह हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2026 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

वित्त मंत्री ने उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2026 को पुरःस्थापित किया।

वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2026 पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक तथा खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग बने।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि “उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2026” पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

तदुपरान्त संसदीय कार्य मंत्री द्वारा घोषित किया गया कि मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा उदारता का परिचय देते हुए पूर्व की भाँति विधान सभा के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए पिछली बार स्वीकृत रु0 16500/- के मानदेय में रु0 1000/- की वृद्धि करते हुए रु0 17500/- का मानदेय दिये जाने एवं विधान सभा के चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के टेलीफोन भत्ते को रु0 125/- से बढ़ाकर रु0 250/-प्रतिमाह किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

आज दिनांक 20 फरवरी, 2026 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 162 सूचनाएं प्राप्त हुईं निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुईं :-

<u>क्र0-सं0</u>	<u>नाम</u>	<u>विषय</u>
1	श्री प्रदीप शुक्ला	विधान सभा क्षेत्र सहजनवां, जनपद गोरखपुर के ब्लॉक पिपरौली के ग्राम सभा खोरठा में इण्टर कॉलेज की स्थापना के सम्बन्ध में।
2	श्री मदन भैया	मे0 सर शादी लाल डिस्टलरी एण्ड केमिकल वर्क्स फैक्ट्री मंसूरपुर (मुजफ्फरनगर) में मालिकों द्वारा मजदूरों व कर्मियों को वेतन न दिये जाने के प्रकरण की जाँच के सम्बन्ध में।
3	श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी)	विधान सभा क्षेत्र उरई, जनपद जालौन अन्तर्गत वार्ड नं0-29, लहारियापुरवा में नगर विकास विभाग द्वारा डूडा कॉलोनी में सौन्दर्यीकरण/जीर्णोद्धार कराये जाने विषयक।
4	श्री रामखिलाड़ी सिंह	विधान सभा क्षेत्र-111, जनपद सम्भल में कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।
5	श्री बाबूलाल	जनपद आगरा के ब्लॉक अकोला के कतिपय ग्रामों में स्वीकृत अन्त्येष्टि स्थल का मानक के अनुरूप निर्माण न होने के प्रकरण में दोषी अधिकारियों और प्रधानों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।
6	श्री विनोद चतुर्वेदी	विधान सभा क्षेत्र कालपी (जालौन) के विकास खण्ड कुठौन्द में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को उच्चिकृत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में परिवर्तित कराये जाने के सम्बन्ध में।
7	श्री जवाहर लाल राजपूत	जनपद झांसी के गरौठा विधान सभा क्षेत्र में जर्जर/खराब सड़कों को गड्ढामुक्त/विशेष मरम्मत/पुनर्निर्माण/चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कराये जाने विषयक।
8	श्री राम मूर्ति वर्मा	विधान सभा क्षेत्र टाण्डा, जनपद अम्बेडकरनगर में थिरुआ नाले पर रसूलपुर और पैकोलिया गांव को जोड़ने वाला एक स्थायी पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
9	श्री त्रिभुवन दत्त	जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर के विकास खण्ड रामनगर के ग्राम पटना मुबारकपुर में

<u>क्र०-सं०</u>	<u>नाम</u>	<u>विषय</u>
		प्राथमिक विद्यालय पटना, मुबारकपुर तक कतिपय जर्जर मार्ग का नव निर्माण/पिच कार्य कराये जाने विषयक।
10	डॉ० मनोज कुमार प्रजापति	जनपद हमीरपुर में प्रस्तावित नये विकास खण्ड सिसोलर का सृजन कराये जाने के सम्बन्ध में।
11	श्री जाहीद	जनपद लखनऊ के हैवतमऊ मवईया चरण भट्टा रोड पर पंचवटी से डूडा कॉलोनी तक रोड मरम्मत कराये जाने विषयक।
12	श्री हाकिम लाल बिन्द	प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र हण्डिया की ग्राम सभा करारी भदेली में शारदा सहायक नहर पर क्षतिग्रस्त पुल के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में।
13	श्री पीयूष रंजन निषाद	जनपद प्रयागराज में तैनात खनन अधिकारी एवं खनन निरीक्षक की कथित मिली भगत से सम्पूर्ण जनपद में हो रहे अवैध खनन के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु।
14	श्री मोहन वर्मा	जनपद कुशीनगर स्थित सिंचाई कॉलोनी हाटा परिसर में स्थित निष्प्रयोज्य निरीक्षण भवन के नव निर्माण की परियोजना में हुए भ्रष्टाचार की टीएसी जाँच की रिपोर्ट उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।
15	श्री हरिओम	विधान सभा क्षेत्र अमांपुर, जनपद कासगंज, तहसील पटियाली के अन्तर्गत सिद्धपुरा मोहनपुर मार्ग से नगला धनसिंहपुर मार्ग तक पुनर्निर्माण/डामरीकरण कराये जाने विषयक।
16	श्री महबूब अली	विधान सभा क्षेत्र अमरोहा, जनपद अमरोहा की हाजी कॉलोनी एवं जलालाबाद कॉलोनी में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।
17	श्री राम प्रताप वर्मा	जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज में मोहल्ला माठरमऊ कला आंशिक स्थित चन्द्रलोक कालोनी में श्री रवि कुमार के घर के पास लगे बिजली के खम्भे को मकान से 02 मीटर दूर विस्थापित एवं नया खम्भा स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में।
18	श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू'	जनपद हरदोई विधान सभा क्षेत्र बिलग्राम, मल्लावां के तेरवाकुल्ली ग्राम सभा बक्शीपुरवा तिराहे पर संस्कृति

<u>क्र०-सं०</u>	<u>नाम</u>	<u>विषय</u>
		मंत्रालय, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा श्रद्धेय कल्याण सिंह जी की प्रतिमा स्थापित कराये जाने विषयक।
19	श्री अतुल प्रधान	जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र सरधना अन्तर्गत सकौती से खाता मार्ग तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में।
20	श्री राम सिंह पटेल	जनपद प्रयागराज के करछना में कतिपय रकबा की पक्की नाप (सीमांकन) कराते हुए कार्यवाही के सम्बन्ध में।
21	डॉ० अमित सिंह चौहान	विधान सभा क्षेत्र बीकापुर, जनपद अयोध्या की तहसील सोहावल, विकास खण्ड मसौधा अन्तर्गत गांव फिरोजपुर माझा में अवैध बालू खनन एवं ओवरलोडिंग की उच्च स्तरीय जाँच के सम्बन्ध में।
22	श्री प्रदीप कुमार सिंह उर्फ गुड्डू चौधरी	तहसीलदार गौरीगंज व तहसीलदार मुसाफिरखाना द्वारा कुर्की (धारा-60) की कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।
23	श्री गुरु प्रसाद मौर्य	जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र-254, फाफामऊ में दहियावा बाजार से नवाबगंज मार्ग पर सराय साहब नाका तक नाली निर्माण कार्य के सम्बन्ध में।
24	श्री गणेश चन्द्र	जनपद सन्तकबीरनगर के विधान सभा क्षेत्र धनघटा में नाथनगर से काली पिड़िया तक सड़क चौड़ीकरण के सम्बन्ध में।
25	श्रीमती सरोज कुरील	जनपद कानपुर के घाटमपुर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम-धमना के आर०डी० मेमोरियल डेवलपमेन्ट सोसाइटी के बदलाव में फर्जी तरीके से किये गये हस्ताक्षर एवं डिप्टी रजिस्ट्रार कानपुर मण्डल के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में।
26	श्री हृदय नारायण सिंह पटेल	जनपद लखनऊ में स्टाम्प विक्रेता के द्वारा भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में।
27	डॉ० पल्लवी पटेल	जनपद-कौशाम्बी के तहसील सिराथू में बी० आर० सी० भवन के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
28	श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू	जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत ब्लाक पडरौना के लक्ष्मीपुर में 33/11 के०वी० सब-स्टेशन का निर्माण कार्य एवं नगरीय क्षेत्र पडरौना में एल०टी० ए०बी०सी० वायर को

<u>क्र०-सं०</u>	<u>नाम</u>	<u>विषय</u>
		1 फेस से अवश्यकतानुसार 2-3 फेस कराकर जर्जर एवं छतिग्रस्त तारों को बदलने के सम्बन्ध में।
29	श्री लक्ष्मी राज सिंह	जनपद बुलन्दशहर की विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद में जोखाबाद से हाई-वे मार्ग पर सर्विस रोड का निर्माण कराने के सम्बन्ध में।
30	श्री राजपाल सिंह बालियान	जनपद गौतमबुद्धनगर में नोएडा विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत कतिपय वाणिज्यिक भू-खण्डों के आवंटन निरस्तीकरण की जांच के सम्बन्ध में।
31	श्री अभय सिंह	जनपद अयोध्या में फर्जी अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर तहसील सदर की मौजा माझा तिहुरा के कतिपय गाटा संख्या की भूमि आवंटन की जांच कराकर कार्यवाही हेतु।
32	श्री राम अचल राजभर	जनपद वाराणसी की तहसील सदर के परगना देहात में भूमिहीन परिवारों को भूमि एवं आवास दिलाये जाने के सम्बन्ध में।
33	श्री सत्यपाल सिंह राठौर	जनपद कासगंज के विधान सभा क्षेत्र अलीगंज, एटा के ब्लॉक अलीगंज के बनी गुनामई मार्ग से रुस्तमगंज तक मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।
34	श्री प्रेम नरायन पाण्डेय	जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र तरबगंज के बेलसर बाजार में जाम की समस्या के समाधान हेतु बाई-पास मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में।
35	श्री प्रदीप कुमार चौधरी	जनपद बुलन्दशहर की विधान सभा क्षेत्र-65 में चावली के अन्तर्गत कतिपय सी०सी० सड़क निर्माण के सम्बन्ध में।
36	श्रीमती मनीषा	उत्तर प्रदेश जल निगम नगरीय (नगर विकास विभाग) अन्तर्गत सहायक अभियन्ताओं के सभी संवर्गों में स्वीकृत पद के सापेक्ष रिक्ति का विवरण उपलब्ध कराते हुए सीधी भर्ती के सम्बन्ध में।
37	श्री सुरेन्द्र मैथानी	जनपद कानपुर के गोविन्द नगर विधान सभा क्षेत्र के घनी आबादी वाले क्षेत्रों से होकर गुजर रहे विशालकाय खुले रफाका नाले को ढकने के सम्बन्ध में।

<u>क्र०-सं०</u>	<u>नाम</u>	<u>विषय</u>
38	श्री विनय कुमार द्विवेदी	विधान सभा क्षेत्र मेहनौन, जनपद गोण्डा के अर्जुनपुर से अहिरनपुरवा होते हुए कामिन माता मन्दिर तक मार्ग का नव निर्माण के सम्बन्ध में।
39	श्री राम चन्द्र यादव	जनपद अयोध्या के नव निर्मित राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय में चिकित्सा/चिकित्सीय स्टाफ की तैनाती कराये जाने के सम्बन्ध में।
40	श्री अजय सिंह	विधान सभा क्षेत्र करनैलगंज में स्थित मां सरयू नदी पर जर्जर हो चुके सेतु के समीप नवीन फोर लेन सेतु के निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में।
41	श्री बेदी	लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड गाजीपुर द्वारा मनिहारी जखनियां चैनेज 0 किमी० से 14 किमी० तक मार्ग पर हो रहे निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार की जाँच हेतु।
42	श्री विनोद शंकर अवस्थी	जनपद खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा अन्तर्गत ब्लॉक ईसानगर के ग्राम हटवा में कतिपय सड़क का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।
43	श्री सुरेन्द्र चौरसिया	जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना अन्तर्गत बघड़ा शाहपुर पुरैनी मार्ग से महुअवां खुर्द सम्पर्क मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में।
44	श्री प्रभात कुमार वर्मा	विधान सभा क्षेत्र गौरा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत घारीघाट विकास खण्ड बभनजोत, तहसील मनकापुर अन्तर्गत पार्क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
45	श्री किरत सिंह	विधान सभा क्षेत्र गंगोह, जनपद सहारनपुर में मनोज एडवोकेट के खेत से राजवाहे तक नाला निर्माण के सम्बन्ध में।
46	श्री मूलचन्द्र सिंह	जनपद जालौन के तहसील माधौगढ़ के अन्तर्गत ग्राम नावली के पास पहूज नदी पर पैन्टून पुल का निर्माण कराये जाने सम्बन्ध में।
47	श्री देवेन्द्र सिंह लोधी	जनपद बुलन्दशहर की विधान सभा क्षेत्र स्याना में ग्राम नगला मायापुर में तालाब से ग्राम थोना सम्पर्क मार्ग

<u>क्र०-सं०</u>	<u>नाम</u>	<u>विषय</u>
		तक लम्बाई 1.5 किमी० तक का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में।
48	श्री सीताराम वर्मा	विधान सभा क्षेत्र लम्भुआ, जनपद सुल्तानपुर, विकास खण्ड लम्भुआ अन्तर्गत नहरपुर सम्पर्क का निर्माण के सम्बन्ध में।
49	श्री धर्मराज निषाद	विधान सभा क्षेत्र कटेहरी, जनपद अम्बेडकरनगर के अन्तर्गत भीटी से महरूआ मार्ग पर तरसावा होते हुए बसाइतपुर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में।
50	श्री नन्द किशोर गुर्जर	बंधला दिक्कौली मार्ग के किमी०-8 से बेहटा हाजीपुर मार्ग के चैनेज 0.00 से 8.00 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में।
51	श्री हर्षवर्धन बाजपेयी	वर्ष 1927 में तत्कालीन सरकार के द्वारा हिन्दी एवं उर्दू भाषा में कर्मचारी नियमावली प्रख्यापित कराये जाने के सम्बन्ध में।
52	श्री रामवीर सिंह	विधान सभा क्षेत्र कुन्दरकी, जनपद मुरादाबाद में नचना नदी में पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
53	श्री निर्मल वर्मा	विधान सभा क्षेत्र बिसवां के अन्तर्गत विकास खण्ड सकरन में कुनसर चौराहा हरैया मार्ग से ग्राम जिजौली होते हुए दम्न बेलवा तक मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में।
54	श्री प्रेम सागर पटेल	जनपद-महराजगंज के सिसवां नगर पंचायत में 07 किमी० बाईपास बनाये जाने के सम्बन्ध में।
55	श्री राकेश कुमार गोस्वामी	जनपद महोबा में आल्हा ऊदल का स्मारक और डिजिटल गैलरी बनाये जाने के सम्बन्ध में।
56	श्री राजीव तरारा	जनपद अमरोहा के अन्तर्गत वेब शुगर मिल धनौरा द्वारा फैलाये जा रहे जल, प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
57	श्री संजीव अग्रवाल	जनपद बरेली स्थित तीन सौ बेड कोविड अस्पताल को सुपर स्पेशियलिटी सुविधायुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।
58	डॉ० रागिनी	जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के ब्लॉक मुख्यालय से नोनराखुर्द, टेकराडीह होते हुए ग्राम सभा बेलासिन तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में।

<u>क्र०-सं०</u>	<u>नाम</u>	<u>विषय</u>
59	श्री चन्द्रपाल सिंह	जनपद बुलन्दशहर की विधान सभा क्षेत्र डिबाई के ब्लॉक डिबाई अन्तर्गत डिबाई-कर्णवास मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
60	श्री राजेश पाल सिंह उर्फ राजेश चौधरी	जनपद मथुरा के अन्तर्गत माँट चौहड़ील मेन रोड विजली घर से गढ़ी बालकिशन मार्ग का निर्माण मण्डी परिषद् से कराये जाने के सम्बन्ध में।
61	डॉ० मंजू शिवाच	विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर के नगर पालिका क्षेत्र में पुराना महिला सिलाई केन्द्र का ध्वस्तीकरण या नव निर्माण के सम्बन्ध में।
62	श्री अमन गिरि	विधान सभा क्षेत्र गोला, लखीमपुर खीरी के ग्राम-कौउवाखेड़ा, विकास खण्ड-बिजुआ में विद्युत उपकेन्द्र स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में।
63	श्री भगवान सिंह कुशवाहा	जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खेरागढ़ के ब्लॉक जगनेर में जगनेर-बसेड़ी मार्ग से टेढ़ी पुलिया से राजस्थान बॉर्डर तक पक्की सड़क निर्माण के सम्बन्ध में।
64	श्री बृजेश कुमार	प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कार्यरत को-आर्डिनेटर एवं किशोर स्वास्थ्य काउन्सलर के लम्बित बिलों का भुगतान कराये जाने विषयक।
65	श्री कैलाश सिंह राजपूत	संयुक्त निदेशक क्षय के पद पर तैनात चिकित्सा अधिकारी को स्थानान्तरित करने के विषय में।
66	श्री जियाउद्दीन रिजवी	जनपद बलिया की तहसील सिकन्दरपुर अन्तर्गत ग्राम मासूमपुर में खलिहान की जमीन पर दबंगों द्वारा अनधिकृत कब्जा खाली कराये जाने विषयक।
67	श्री जै किशन साहू	प्रत्यूष राय, निवासी ग्राम व पोस्ट-सौरी, थाना-शादियाबाद, जनपद गाजीपुर की मृत्यु के प्रकरण की जाँच के सम्बन्ध में।
68	श्री अनिल कुमार वर्मा	जनपद लखनऊ में संजय गांधी पी०जी०आई० में नियम विरुद्ध तरीके से पदोन्नति के सम्बन्ध में।
69	हाजी नासिर कुरैशी	जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र मुरादाबाद ग्रामीण के अन्तर्गत ताजपुर माफी में कतिपय मार्ग के नव निर्माण के सम्बन्ध में।

<u>क्र०-सं०</u>	<u>नाम</u>	<u>विषय</u>
70	श्री कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू	जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज में पकडवल से जैगहां तक सड़क निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में।
71	श्री प्रदीप कुमार यादव	जनपद औरैया के विधान सभा क्षेत्र दिबियापुर अन्तर्गत नहर पुल से घसारा नहर पुल की पटरी का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।
72	श्रीमती इन्द्राणी देवी	जनपद श्रावस्ती अन्तर्गत ब्लॉक हरिहरपुररानी के गांव नौबस्ता से केशवापुर तक सड़क मरम्मत के सम्बन्ध में।
73	श्री समरपाल सिंह	जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र नौगावां सादात अमरोहा धनौरा मार्ग से भेड़ा भरतपुर तक सड़क का चौड़ीकरण/सौन्दर्यीकरण विषयक।
74	डॉ० वीरेन्द्र यादव	जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर अन्तर्गत बोगना में 33/11 के०वी०ए० क्षमता का पावर हाउस बनाये जाने विषयक।
75	श्री राजेन्द्र कुमार	जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मुहम्मदाबाद गोहना में ब्लॉक मुहम्मदाबाद गोहना अन्तर्गत ग्राम पंचायत खैराबाद से ग्राम अतरारी के बीच नाला निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
76	श्री रविदास मेहरोत्रा	उ०प्र० राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् में व्याप्त भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच विभाग से इतर कराये जाने के सम्बन्ध में।
77	श्री मो० ताहिर खान	जनपद सुल्तानपुर के ब्लॉक कूड़ेभार, तहसील सदर, ग्राम व कस्बा सुल्तानपुर में किसानों को मुआवजा के सम्बन्ध में।
78	श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी	जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण के सम्बन्ध में।
79	श्री श्याम सुन्दर	जनपद रायवेरली के विधान सभा क्षेत्र बछरावां अन्तर्गत विकास खण्ड शिवगढ़ में शिवगढ़-गुमावा रोड से चितईखेड़ा मजरे दहिगवां तक मार्ग का निर्माण के सम्बन्ध में।
80	श्री राम अवतार सिंह	जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नूरपुर अन्तर्गत विकास खण्ड बूढ़नपुर की ग्राम पंचायत-सहसपुर देहात में मास्टर अनीस के घर से रेलवे स्टेशन तक रोड का निर्माण के सम्बन्ध में।

<u>क्र०-सं०</u>	<u>नाम</u>	<u>विषय</u>
81	श्रीमती सैय्यदा खातून	जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज अन्तर्गत पथरा मार्ग से सुमहा बाबा तक पिच रोड मरम्मत के सम्बन्ध में।
82	श्री विशम्भर सिंह यादव	जनपद बांदा के विधान सभा क्षेत्र बबेरू में उ०प्र० राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् द्वारा 15 सम्पर्क मार्गों का निर्माण के सम्बन्ध में।
83	श्री संग्राम सिंह	जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र फेफना अन्तर्गत चंटुकी से बघेवा सोवाई बांध सम्पर्क मार्ग का पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में।
84	श्री नाहिद हसन	जनपद शामली के अन्तर्गत कतिपय सड़कों का मरम्मत के सम्बन्ध में।
85	श्री मो० हसन 'रूमी'	जनपद कानपुर नगर के अन्तर्गत छावनी विधान सभा क्षेत्र के जोन-02, वार्ड-99 के अन्तर्गत पूर्व में निर्मित जलाशय को पूर्ण रूप से चालू कराने के सम्बन्ध में।
86	श्री अखिलेश	जनपद आजमगढ़-मऊ-बलिया मार्ग से रामराजी देवी महिला महाविद्यालय होते हुये चौहान बस्ती तक रोड निर्माण के सम्बन्ध में।
87	श्रीमती रेखा वर्मा	जनपद औरैया की विधान सभा क्षेत्र विधूना में कतिपय मार्गों का निर्माण के सम्बन्ध में।
88	श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह	जनपद इटावा के विधान सभा क्षेत्र भरथना में मोबाइल नेटवर्क की समस्या के सम्बन्ध में।
89	श्री दुर्गा प्रसाद यादव	जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सदर में कतिपय स्थानों पर विद्युत क्षमता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।
90	श्री बेचई सरोज	जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज अन्तर्गत ग्राम सभा राजेपुर से जाने वाली सड़क मार्ग पर पसिका गेट से कम्मरपुर, सेन्धुरी सड़क पर हरे छायादार वृक्ष नहीं लगाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
91	श्री मुकेश चौधरी	प्रदेश में कृषकों को विद्युत संयोजन हेतु दी गयी व्यवस्था की विसंगति निवारण हेतु।
92	श्री जीत लाल पटेल	जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथगंज के अन्तर्गत कटरा गुलाब सिंह स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

<u>क्र०-सं०</u>	<u>नाम</u>	<u>विषय</u>
		(पी०एच०सी०) को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सी०एच०सी०) में उच्चिकृत किये जाने तथा उसमें ट्रामा सेन्टर की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में।
93	डॉ० सुरभी	जनपद फर्रुखाबाद के तहसील कायमगंज स्थित उप निबन्धक कार्यालय में बैनामा दस्तावेजों में सभी गाटा संख्याओं का यूनिक कोड दर्ज न किये जाने के सम्बन्ध में।
94	श्री तेज प्रताप सिंह यादव	जनपद मैनपुरी की विधान सभा क्षेत्र करहल के विकास खण्ड मैनपुरी के ग्राम रटेरा में अरेन्ध नदी झवरा घाट पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
95	इंजी० बृजेश कठेरिया	जनपद मैनपुरी के विकास खण्ड किशनी से रामनगर होकर विशुनगढ़ तक सड़क निर्माण/सुदृढीकरण के सम्बन्ध में।
96	डॉ० आर०के० वर्मा	जनपद प्रतापगढ़ की रानीगंज विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत देल्हूपुर से खुशहालगढ़ होते हुए पुरैला (ओ०डी०आर०) का निर्माण के सम्बन्ध में।
97	श्री अमिताभ बाजपेई	जनपद मथुरा के प्राथमिक विद्यालय नौहझील के प्रधानाध्यापक के निलम्बन के सम्बन्ध में।
98	श्री प्रभु नारायण सिंह यादव	यूपी एवं वाराणसी मण्डल के किसानों/पशुपालकों के साथ शोषण के सम्बन्ध में।
99	श्री छोटे लाल वर्मा	जनपद आगरा के नगर पंचायत फतेहाबाद को नगर पालिका परिषद् घोषित कराये जाने के सम्बन्ध में।
100	श्री प्रसन्न कुमार	जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र शामली सदर के मोहल्ला रेलपार के कुड़ाना रोड पर सूरजमल विहार के निकट अनुज कुमार पुत्र जयप्रकाश के मकान के बाहर बिल्कुल गेट के सामने ट्रांसफार्मर व 11000 वोल्ट की विद्युत लाइन स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में।
101	श्री अमरेश कुमार	जनपद लखनऊ के आई०आई०एम० रोड स्थित महर्षि विद्या मन्दिर के सामने ग्राम रायपुर का लिंक मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।

<u>क्र०-सं०</u>	<u>नाम</u>	<u>विषय</u>
102	श्री नवाब जान	जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र शामली में नगरपालिका क्षेत्र शामली के वार्ड संख्या-9 रेलपार में प्राइवेट इण्टरलॉकिंग हटाये जाने के सम्बन्ध में।
103	श्री महेन्द्र नाथ यादव	जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र सदर अन्तर्गत कतिपय ब्लॉक में कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
104	डॉ० राजेश्वर सिंह	विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर, लखनऊ के अन्तर्गत इब्राहिमपुर प्रथम वार्ड एवं इब्राहिमपुर द्वितीय वार्ड में निर्मित आवासीय क्षेत्र में पाइप लाइन पेयजल परियोजना के अन्तर्गत पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराए जाने के सम्बन्ध में।
105	श्री ऋषि त्रिपाठी	जनपद महाराजगंज के विधान सभा क्षेत्र नौतनवां में महाव नाला के तटबन्ध टूटने की जाँच के सम्बन्ध में।
106	श्री विपुल दुबे	श्री भुवनेश्वरी महेश्वरानन्द गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय, झलोखर हमीरपुर में सहायक विभागाध्यक्षों का लम्बित एरियर/वेतन भुगतान के सम्बन्ध में।
107	श्री अनिल कुमार त्रिपाठी	जनपद सन्तकबीरनगर के विकास खण्ड सांथा के ग्राम पुरैना स्थित स्वास्थ्य उपकेन्द्र का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में।
108	श्री रमेश सिंह	जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र शाहगंज में विरैली से समधोपुर मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।
109	श्री रत्नाकर मिश्रा	जनपद मिर्जापुर में बबुरा-जोपा मार्ग के चौड़ीकरण के सम्बन्ध में।
110	श्री राजेन्द्र कुमार मौर्य	जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ सदर अन्तर्गत विकास खण्ड सण्डवा चण्डिका के ग्राम बासूपुर गाँव रोड का मरम्मत के सम्बन्ध में।
111	श्री अनिल पाराशर	विधान सभा क्षेत्र कौल, अलीगढ़ में महेशपुर फाटक से क्वार्सी बाईपास में रोड चौड़ीकरण एवं नाला निर्माण के सम्बन्ध में।
112	श्री जय प्रकाश अंचल	जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया अन्तर्गत विद्युत विभाग से कतिपय कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

<u>क्र०-सं०</u>	<u>नाम</u>	<u>विषय</u>
113	श्री राकेश कुमार यादव	विधान सभा क्षेत्र गैसड़ी अन्तर्गत ग्राम बड़गौ से थुम्हवा होते हुए हरनवा परिसिया चौराहे तक लेपन स्पर तक निर्माण के सम्बन्ध में।
114	श्रीमती कृष्णा पासवान	जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र खागा अन्तर्गत गढ़ा-नरौली रोड से संगौलीपुर तक मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में।
115	श्री वीरेन्द्र चौधरी	जनपद महाराजगंज, विधान सभा क्षेत्र फरेन्दा के ग्राम करमहवा बुजुर्ग तथा सोहरवलिया कला आदि गांव जोड़ने वाले मार्ग पर पुलिया निर्माण के सम्बन्ध में।
116	श्री राम निवास वर्मा	जनपद बहराइच में सरयू नदी पर स्थित गढ़ी घाट सेतु के पहुंच मार्ग का मरम्मत/पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में।
117	श्री रमाशंकर सिंह	जनपद मिर्जापुर के जुनार राजगढ़ मार्ग से बनइमिलिया पर पुल निर्माण पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में।
118	श्री वीरेन्द्र सिंह लोधी	एस०डी०एम० सदर द्वारा न्यायालय स्टे का पालन कराये जाने के सम्बन्ध में।
119	श्री चैतराम	प्रदेश में पुरुष उत्पीड़न के मामले में सामाजिक सन्तुलन एवं न्याय व्यवस्था के सम्बन्ध में।
120	श्री वीर विक्रम सिंह	जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड खुदागंज के ग्राम चरखौला की वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन एवं किसान सम्मान निधि की जाँच प्रतिनिधि की उपस्थिति में कराए जाने के सम्बन्ध में।
121	श्री शफीक अंसारी	जनपद रामपुर के टांडा बाईपास के नव निर्माण हेतु शासनादेश निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।
122	श्री मौहम्मद फहीम इरफान	जनपद मुरादाबाद में संचालित प्राइवेट मॉटेसरी स्कूलों की मनमानी फीस के सम्बन्ध में।
123	श्री विनय प्रकाश गोंड	बी०आर०सी० भवन कप्तानगंज का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में।
124	श्री मनोज कुमार पारस	जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना अन्तर्गत नजीबाबाद-कोतवाली ओल्ड एन०एच० पर ग्राम कोतवाली देहात में मुनीम जी मैरिज हॉल के पास से शाहिद अंसारी की दुकान तक एवं पानीपत खटीमा मार्ग पर ग्राम

<u>क्र०-सं०</u>	<u>नाम</u>	<u>विषय</u>
		बनवारिपुर याकूब कालोनी में यूसुफ के मकान से मन्दिर तक नाला निर्माण कार्य जिला पंचायत बिजनौर द्वारा कराने के सम्बन्ध में।
125	श्री राजीव सिंह पारीक्षा	सचिवालय प्रशासन विभाग की अपर निजी सचिव भर्ती-2023 में आशुलेखन परीक्षा के नियमों का पालन कराने के सम्बन्ध में।
126	श्री कविन्द्र चौधरी	जनपद बस्ती स्थित चन्दोताल को पक्षी अभ्यारण्य घोषित करने एवं समग्र विकास, संरक्षण एवं सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में।
127	श्री कमाल अख्तर	जनपद मुरादाबाद के अगवानपुर क्षेत्र में स्थित दीवान शुगर मिल, अगवानपुर द्वारा पर्यावरणीय मानकों एवं प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन किए जाने के सम्बन्ध में।
128	डॉ० नीरज बोरा	जनपद लखनऊ के उत्तरी विधान सभा क्षेत्र में जिला नगरीय विकास अभिकरण अन्तर्गत लम्बित विकास कार्यों के सम्बन्ध में।
129	श्री अरविन्द कुमार सिंह	जनपद की गौरवशाली विरासत दि एकजक्यूटिव बोर्ड आफ दि मॅथोडिस्ट चर्च इन इण्डिया ट्रस्ट द्वारा स्थापित मूल संस्था नेव टेक्निकल इन्स्टीट्यूट का संरक्षण करवाने के सम्बन्ध में।
130	श्री अनिल कुमार मौर्या	नोएडा विकास प्राधिकरण अन्तर्गत बिल्डर द्वारा वरिष्ठ नागरिकों का उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में।
131	श्री देवेन्द्र कुमार निम	विधान सभा क्षेत्र मनिहारन (सहारनपुर) में कालोनी का नक्शा निरस्त कराने एवं प्लॉटों की बिक्री रोके जाने के सम्बन्ध में।
132	श्री मनोज कुमार पाण्डेय	जनपद रायबरेली, विधान सभा क्षेत्र ऊँचाहार के विकास खण्ड दीनशाह में पौराणिक शिव मन्दिर व गंगा घाट के सौन्दर्यीकरण तथा पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किये जाने हेतु।
133	श्री मनीष रावत	गंगासागर अपार्टमेन्ट, नरही, लखनऊ में अवैध निर्माण एवं अवैध कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में।

<u>क्र०-सं०</u>	<u>नाम</u>	<u>विषय</u>
134	इंजी० सचिन यादव उर्फ जखई	प्रदेश भर में तमाम वाहनों पर लगे विभिन्न प्रकार के स्टीकर, प्राइवेट लाल बत्ती, हूटर आदि हटवाने विषयक।
135	इंजी० सरवन कुमार निषाद	जनपद प्रयागराज में राजस्व व पुलिस टीम गठित करते हुये पैमाइश कराये जाने के सम्बन्ध में।
136	श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'	जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रामपुर खास में घुइसरनाथ धाम अन्तर्गत सड़क चौड़ीकरण/सुदृढीकरण के सम्बन्ध में।
137	श्रीमती अलका सिंह	जिला हरदोई के ब्लाक सण्डीला के अन्तर्गत सण्डीला नगर को जाम मुक्त बनाने के लिये वैकल्पिक मार्गों का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
138	श्री आशु मलिक	प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 को उत्तर प्रदेश में पूर्ण क्षमता से संचालित कराये जाने के विषय में।
139	श्री राहुल राजपूत उर्फ राहुल लोधी	जनपद उन्नाव की तहसील सदर के ग्राम दुबेपुर में खेल के मैदान के रूप में दर्ज भूमि से अवैध अतिक्रमण को पूर्ण रूप से मुक्त कराकर बच्चों के खेलने के लिए मिनी स्टेडियम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
140	श्री रमेश चन्द्र मिश्र	जनपद जौनपुर अन्तर्गत जिला पंचायत जौनपुर द्वारा कतिपय सड़कों का निर्माण के सम्बन्ध में।
141	श्री रमेश जायसवाल	जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय में विकास खण्ड नियामताबाद के ग्राम लौंदा में कतिपय रोड निर्माण के सम्बन्ध में।
142	श्रीमती केतकी सिंह	उप जिलाधिकारी, सदर-प्रतापगढ़ की तरफ से धारा 7ए आरबीओ ऐक्ट-1958 के अन्तर्गत निर्गत नोटिस वापस लिये जाने के सम्बन्ध में।
143	श्री बम्बा लाल	पंचायती राज विभाग द्वारा शौचालय का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
144	श्री तुफानी सरोज	विधान सभा क्षेत्र केराकत, जनपद जौनपुर अन्तर्गत ब्लॉक मुफ्तीगंज के ग्राम पंचायत मेहोड़ा-राधेश्याम यादव के घर से सरकार परौवां सम्पर्क मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में।

<u>क्र०-सं०</u>	<u>नाम</u>	<u>विषय</u>
145	श्री संदीप सिंह	जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड माण्डा, ग्राम सभा राजापुर में रामदुलार के घर से नदी तक नाली निर्माण के सम्बन्ध में।
146	श्री मनीष असीजा	जनपद फिरोजाबाद के थाना टूण्डला से प्रस्तावित थाना राजा का ताल पुलिस चौकी तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में।
147	श्री राज प्रसाद उपाध्याय	विधान सभा क्षेत्र सदर, सुल्तानपुर के अन्तर्गत गोसेसिंहपुर, आनूपुर, मुरैनी, अर्जुनाईपुर, नशेड़ी, भीटी, अम्बेडकर मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
148	श्री धर्मराज सिंह यादव	उ०प्र० सचिवालय में स्थानान्तरण नीति की अवहेलना के सम्बन्ध में।
149	डॉ० मुकेश चन्द्र वर्मा	जनपद फिरोजाबाद में मन्दिर से रेलवे स्टेशन तक स्मार्ट रोड पर कचरा फेकने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

शेष सूचनाएं अस्वीकृत हुईं।

जनपद इटावा में थाना प्रभारी भरथना द्वारा पीड़ित के साथ किये गये अभद्र व्यवहार एवं धमकी देने के प्रकरण में जाँच कर कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिवपाल सिंह यादव द्वारा दिनांक 17 फरवरी, 2026 को दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद मुरादाबाद के काँठ विधान सभा क्षेत्र के खादर क्षेत्र में 33/11 के०वी० का बिजली घर बनवाए जाने के सम्बन्ध में श्री कमाल अख्तर द्वारा दिनांक 17 फरवरी, 2026 को दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया। मा० सदस्य ने प्रश्न पूछकर स्पष्टीकरण प्राप्त किया।

जनपद मुजफ्फरनगर में फैक्ट्रियों (पेपर मिल/शुगर मिल/केमिकल फैक्ट्री/ डिस्टलरी) से फैल रहे प्रदूषण को रोकने के सम्बन्ध में श्री पंकज कुमार मलिक द्वारा दिनांक 17 फरवरी, 2026 को दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत वन एवं पर्यावरण मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद फिरोजाबाद स्थित स्वशासी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय को पूर्ण क्षमता से चालू कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष असीजा द्वारा दिनांक 17 फरवरी, 2026 को दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा शिक्षा विभाग) का वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद आजमगढ़ के अतरौलिया विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पराग डेयरी के कर्मचारियों का वेतन भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में डॉ० संग्राम यादव द्वारा दिनांक 17 फरवरी, 2026 को दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री

का वक्तव्य उन्होंने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया। मा0 सदस्य ने प्रश्न पूछकर स्पष्टीकरण प्राप्त किया।

विधान सभा क्षेत्र बीकापुर, जनपद अयोध्या की तहसील सोहावल के नगर पंचायत खिरौनी सुच्चितागंज के नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा की जा रही वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितता की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में डॉ0 अमित सिंह चौहान द्वारा दिनांक 17 फरवरी, 2026 को दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बदायूं के विधान सभा क्षेत्र दातागंज में कटरा सादतगंज में 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बबू भईया द्वारा दिनांक 17 फरवरी, 2026 को दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद चन्दौली में धान केन्द्रों पर नियम विरुद्ध प्राइवेट व्यक्तियों को केन्द्र प्रभारी बनाये जाने की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रभु नारायण सिंह यादव द्वारा दिनांक 17 फरवरी, 2026 को दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत सहकारिता मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद मुरादाबाद के नगर पालिका परिषद् बिलारी क्षेत्र में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत खुदी सड़कों का मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मौहम्मद फहीम इरफान द्वारा दिनांक 17 फरवरी, 2026 को दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

तदुपरान्त श्री अध्यक्ष द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत प्राप्त 162 सूचनाओं की स्वीकृति के सम्बन्ध में विधान सभा सचिवालय को निर्देशित किया कि आज की उपस्थिति के आलोक में मा0 सदस्यों की सूचनाएं स्वीकृत मानी जायं।

तदुपरान्त संसदीय कार्य मंत्री ने पूरी संजीदगी के साथ सभी सदस्यों का संरक्षण करते हुए विधान सभा के बजट सत्र के सफल संचालन के लिए श्री अध्यक्ष के प्रति तथा सम्पूर्ण बजट पर मार्गदर्शन एवं उत्साहवर्धन के लिए मा0 मुख्य मंत्री जी के प्रति आभार प्रकट किया। साथ ही उन्होंने सार्थक सुझाव एवं बहुत अच्छे व्यवहार के लिए नेता विरोधी दल के प्रति तथा बजट सत्र में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए दलीय नेताओं एवं सभी सदस्यों एवं मीडिया प्रतिनिधियों के प्रति आभार प्रकट करते हुए सभी को होली के त्योहार की शुभकामनाएँ दीं।

तदुपरान्त श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' द्वारा चुनावी वर्ष के नाते मा0 सदस्यों से प्रस्ताव लेकर 5-10 करोड़ की सड़कें बनवाने एवं प्रत्येक सदस्य को 200-200 हैण्डपम्प देने के लिए सरकार से अनुरोध किया।

तदुपरान्त नेता विरोधी दल, प्राविधिक शिक्षा मंत्री (श्री आशीष पटेल), मत्स्य मंत्री (डा० संजय निषाद), पंचायती राज मंत्री (श्री ओम प्रकाश राजभर), नेता राष्ट्रीय लोक दल (श्री राजपाल सिंह बालियान), नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना') तथा नेता जनसत्ता दल लोकतांत्रिक (श्री रघुराज प्रताप सिंह) ने भी सभी के प्रति आभार प्रकट किया।

तदुपरान्त श्री अध्यक्ष ने विधान सभा में प्रस्तुत विशाल बजट के पावर हाउस के रूप में मा० मुख्य मंत्री के प्रति तथा सदन संचालन में सक्रिय सहयोग के लिए मा० संसदीय कार्य मंत्री सहित समस्त मंत्रीगण, मा० नेता विरोधी दल, मा० दलीय नेताओं, सभी सदस्यों तथा मीडिया बन्धुओं के प्रति आभार प्रकट किया।

तदुपरान्त संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि यह सदन अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित किया जाय।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

तदुपरान्त सदन का उपवेशन सायं ०६ बजकर २० मिनट पर राष्ट्रगान "जन गण मन-----।" के सामूहिक गान के उपरान्त अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित हुआ।

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

स्वीकृत,
सतीश महाना,
अध्यक्ष,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।